न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	आरसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
03 / 2021	2021 / 31	25.01.2021	23.05.2022

उनवान प्रकरण

शिवराम पुत्र रामनारायण उम्र 60 वर्ष जाति जांगिड़ निवासी ग्राम किशोरपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला – सीकर राजस्थान।

—प्रार्थी

बनाम

1. ठण्डूराम पुत्र महादेव प्रसाद आयु 60 वर्ष
2. नागरमल पुत्र महादेव प्रसाद आयु 65 वर्ष
   जाति बलाई निवासीगण ग्राम किशोरपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
3. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला – सीकर राजस्थान।

—अप्रार्थीगण

4. तेजपाल पुत्र मूलचन्द आयु 35 वर्ष
5. दाखा देवी पत्नि मूलचन्द आयु 70 वर्ष
6. पूरणमल पुत्र मूलचन्द आयु 37 वर्ष
7. मुकेश पुत्र मूलचन्द आयु 30 वर्ष
8. महेश कुमार पुत्र मूलचन्द आयु 55 वर्ष
   समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम किशोरपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
9. मालीराम पुत्र गोपीदास आयु 57 वर्ष, जाति स्वामी निवासी ग्राम किशोरपुरा
   तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

—तरतीबी अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Rathore
23/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.26 11:30:20 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :—

श्री गिरीराज शर्मा एड0 — प्रार्थी की ओर से

श्री हनुमान राम सामोता एड0 अप्रार्थी नं. 1 व 2

पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर— अप्रार्थी नं. 1 की ओर से

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम किशोरपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित खातेदारी आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 105 रकबा 1.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 111 रकबा 1.04 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.35 हैक्टर स्थित है। जिसके 1/4 हिस्से की खातेदारी प्रार्थी के नाम एंव 1/10—1/10 हिस्से की खातेदारी तरतीबी अप्रार्थीगण नम्बर 4 ता 8 के नाम अंकित है एंव 1/4 हिस्से की खातेदारी तरतीबी अप्रार्थी नम्बर 9 के नाम से अंकित है। जिन्हें सह खातेदार होने की वजह से तरतीबी पक्षकार बनाया गया है। उक्त वर्णित भूमियों के सटाकर अप्रार्थीगण नम्बर 1 व 2 की कृषि भूमि 104 तन् ग्राम किशोरपुरा तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। प्रार्थी ने उक्त कृषि भूमियों का सीमाज्ञान दिनांक 04.11.2020 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश कमांक 34/एल.आर. /20 दिनांक 20.10.2020 की अनुपालना में पटवारी हल्का किशोरपुरा द्वारा विधिवत तरीके से सीमाज्ञान करवा लिया है। जिसकी फोटो प्रति संलग्न है। अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 उक्त वर्णित भूमियों के पड़ौसी खातेदार है जिनकी भूमि खसरा नम्बर 104 है, जो आये दिन प्रार्थी की भूमियों की सींवडोल नष्ट कर अतिक्रमण करते है तथा लड़ाई झगड़ा करते रहते है तथा कहने, सुनने समझाने से प्रार्थी की भूमियों पर जबरन अतिक्रमण

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.26 11:30:20 IST
Reason: SelfAttested

23/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

करने की कुचेष्टा रखते है। प्रार्थी शांति प्रिय व कानून सम्मत व्यक्ति है। अनावश्यक वाद विवाद नहीं चाहता है। इसलिए प्रार्थी की खातेदारी एंव कब्जा काश्त की भूमि की पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 04.11.2020 के अनुसार करवाया जाना आवश्यक व न्यायोचित हैं। जिसकी पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 04.11.2020 के अनुसार किये जाने का निवेदन प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं0 1 व 2 की ओर से श्री हनुमान राम सामोता एड0 उपस्थित आये एंव जवाब हेतु अवसर चाहा। वकील अप्रार्थी को जवाब हेतु 9 अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाबदेही बन्द की गई। अप्रार्थी संख्या 3 की तामील साधारण तरीके से एंव अप्रार्थी संख्या 8 व 9 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाये जाने के बावजूद भी हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एंव अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 7 की तामील जरिये समाचार पत्र दैनिक उद्योग आसपास मे साया करवाये जाने के बावजूद भी हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 7 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी बाबत अप्रार्थी सं. 1 तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 997/भू.अ./2022 दिनांक 11.04.2022 के द्वारा सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढ़ी करवाई जाने वाली भूमि को मौके पर फसल नहीं होकर खाली होने, खसरा नम्बरान् पर मौके पर कोई विवाद/स्थगन नहीं होने तथा सींव डोल बने होने बाबत अवगत कराते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की है।

प्रकरण में बहस वकील [illegible] क्षीय सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अभिभाषक ने निवेदन किया कि ग्राम किशोरपुरा तह[illegible] श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित खातेदारी आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 105 रक[illegible]1.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 111 रकबा

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

21/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.26 11:30:20 IST
Reason: SelfAttested

1.04 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.35 हैक्टर के 1/4 हिस्से की खातेदारी प्रार्थी के नाम एंव 1/10–1/10 हिस्से की खातेदारी तरतीबी अप्रार्थीगण नम्बर 4 ता 8 के नाम अंकित होने एंव 1/4 हिस्से की खातेदारी तरतीबी अप्रार्थी नम्बर 9 के नाम से अंकित है। जिसका प्रार्थी काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी ने उक्त कृषि भूमियों का सीमाज्ञान दिनांक 04.11.2020 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश कमांक 34/एल.आर./20 दिनांक 20.10.2020 की अनुपालना में पटवारी हल्का किशोरपुरा द्वारा विधिवत तरीके से सीमाज्ञान करवा लिया है। उक्त सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में किया गया है। वही अप्रार्थी नं. 1 तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांकित 11.04.2022 के द्वारा सीमाज्ञान दिनांक 04.11.2020 के अनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की है।

हमने वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस ध्यानपूर्वक सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम किशोरपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित खातेदारी आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 105 रकबा 1.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 111 रकबा 1.04 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.35 हैक्टर के 1/4 हिस्से की खातेदारी प्रार्थी के नाम एंव 1/10–1/10 हिस्से की खातेदारी तरतीबी अप्रार्थीगण नम्बर 4 ता 8 के नाम एंव 1/4 हिस्से की खातेदारी तरतीबी अप्रार्थी नम्बर 9 के नाम से अंकित होना राजस्व रिकार्ड से प्रकट होता है। जिसके अनुसार प्रार्थी काबिज खातेदार काश्तकार होना प्रकट होता है। प्रार्थी की उक्त कृषि भूमियों का सीमाज्ञान दिनांक 04.11.2020 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश कमांक 34/एल.आर./20 दिनांक 20.10.2020 की पालना में पटवारी हल्का किशोरपुरा द्वारा विधिवत तरीके से सीमाज्ञान करवा[illegible]ता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी जॉच रिपोर्ट में पत्थर[illegible] करवाई जाने वाली [illegible] मौके पर खाली होकर कोई विवाद/स्थगन नहीं होने तथा मौके पर सींव डोल [illegible] बाबत अवगत कराते हुए अपनी सहमति प्रदान की है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर उक्त करवाये

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

23/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.26 11:30:20 IST
Reason: SelfAttested

गये सीमाज्ञान के अनुसार प्रकरण में पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायहित में उचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का किशोरपुरा द्वारा दिनांक 04.11.2020 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 105 रकबा 1.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 111 रकबा 1.04 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.35 हैक्टर तन् ग्राम किशोरपुरा तहसील श्रीमाधोपुर की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ.निरीक्षक फीस 900/— रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/— रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/—रूपये कुल 2100/— रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का किशोरपुरा द्वारा दिनांक 04.11.2020 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो) पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

23/05/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.26 11:30:20 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 23.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/05/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)